निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 38 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार के माह 02/2014 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री राजेश डोभाल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री हरि ओम, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 22/08/2018 से 28/08/2018 तक श्री सी.एस.बोहरा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री भारत सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.02.2014 से 22.02.2014 तक में श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2002 से 01/ 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2014 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** जनपद हरिद्वार के अंतर्गत गन्ना विकास का कार्य ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (+) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	294.71	294.71	138.60	136.92	-	1.67
2014-15	-	-	431.35	431.35	126.38	122.21	-	4.17
2015-16	-	-	500.41	500.41	106.28	110.11	-	2.01
2016-17	-	-	474.18	474.18	73.50	73.50	-	-
2017-18	-	-	549.03	549.03	63.50	63.50	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	आधिक्य `	बचत `
2013-14	RKVY	-	30.80	29.13	-	1.67
2014-15	RKVY	1.67	14.50	10.33	-	5.84
	NFSM	0.00	4.88	4.88	-	-
2015-16	RKVY	5.84	-	3.83	-	2.01
	NFSM	-	9.28	9.28	-	-
2016-17	RKVY	2.01	0.00	0.00	-	2.01 (धनराशिवापस की गयी)
	NFSM	-	3.50	3.50	-	-
2017-18	RKVY	-	0.00	0.00	-	-
	NFSM	-	3.50	3.50	-	-

(ii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'सी'** श्रेणी की है।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

गन्ना एवं चीनी विभाग का संगठनात्मक ढांचा

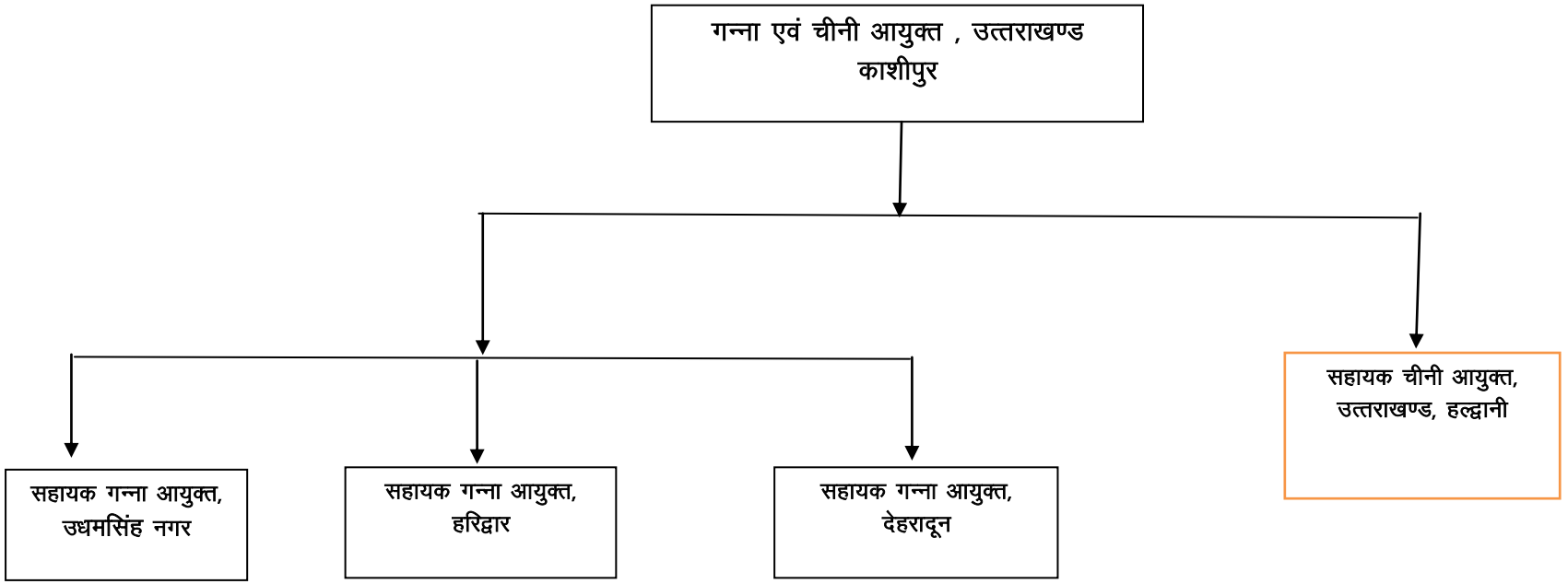

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 10/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:-1 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना की धनराशि ` 5.08 (लाख) को राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्ष मे जमा करना तथा विगत चार वर्षों से निष्क्रिय पड़े पी0एल0ए0 खाते को बंद न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-121/XXVII(14)/2013 दिनांक-12 जुलाई 2013 के पैरा (घ) के अनुसार वित्तीय नियम संग्रह खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-340 बी का अनुपालन किया जायेगा यदि संहत निधि से सृजित पी0एल0ए0 खाते वित्तीय वर्ष के अंत मे बंद किया जाए तथा पी0एल0ए0 खाते जिसमे पिछले तीन वर्षों से लेन देन नही हुआ हो उन्हे महालेखाकार के परामर्श से बंद कर दिया जाए।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-1526(1)/ एक्सआईवी-2/2012 दिनांक-02.01.2013 के द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, काशीपुर के अधीन तीन सहायक गन्ना आयुक्तों ऊधम सिंहनगर, हरिद्वार, एवं देहरादून हेतु पी0एल0ए0 खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसका प्राधिकार पत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0&हक0) उत्तराखंड, देहरादून द्वारा दिनांक- 21.01.2013 को व्यैक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) के शीर्षक 8443 सिविल डिपॉजिट 800 अन्य जमा व्यक्तिगत खोले जाने का प्रदान किया गया था।

सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि पी0एल0ए0 खाते का संचालन केन्द्रीय अनुदानों एवं जिला योजना की प्राप्त राशियों का लेन देन किया जाता था। कार्यालय द्वारा पी0एल0ए0 खाते मे दिनांक-09.07.2014 को समस्त अवशेष धनराशि `2952.00 को चालान द्वारा मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार मे प्रदेश के विभागीय प्राप्तियों के मद मे जमा कर दिया गया। एवं पी0एल0ए0 की रोकडबही के अनुसार इसके बाद उक्त खाते से कोई भी लेन-देन नही की गयी। आगे देखा गया कि दिनांक-09.07.2014 से खाते मे कोई लेन-देन न होने के बावजूद खाते को बंद करने की कोई कार्यवाही नही की गयी।

उक्त के अतिरिक्त यह भी देखा गया हैं कि कार्यालय के अधीन मंत्री गन्ना विकास परिषद लिब्बरहेडी, मंत्री गन्ना विकास परिषद लक्सर, मंत्री गन्ना विकास परिषद इकबालपुर द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निम्नलिखित धनराशि को चालान द्वारा विभागीय प्राप्तियों के मद 0401-00-108-00-03 मे कोषाधिकारी हरिद्वार मे जमा कर दिया हैं-

परिषद का नाम	जमा की गयी धनराशि	दिनांक
लक्सर	299628.00	31.03.2014
लिब्बरहेड़ी	163168.00	31.03.2014
इकबालपुर	45371.00	31.03.2014
कुल	**508167.00**	

चूंकि उक्त `508167.00 धनराशि केन्द्रपोषित योजनाओं से संबन्धित थी। केंद्र पोषित योजना से संबन्धित अनुपयोग धनराशि को वापस केंद्र सरकार को भेज देनी चाहिए थी। जबकि कार्यालय के अंतर्गत परिषदों द्वारा इसे विभागीय प्राप्ति मे जमा कर दिया गया।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एल0ए0 खाते को बंद करने कि कार्यवाही कि जा रही हैं एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों से केंद्र पोषित योजना की अवशेष धनराशि को भी राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों मे जमा किया गया।

अत: केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना की धनराशि ` 5,08,167.00 को राज्य सरकार के विभागीय प्राप्तियों के लेखा शीर्ष मे जमा करने तथा विगत चार वर्षों से निष्क्रिय पड़े पी0एल0ए0 खाते को बंद न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2(ब)

प्रस्तरः-2 किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान का `36905.85 लाख अवशेष रहना।

चीनी मिलों को उत्तराखंड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियम) अधिनियम 1953 की धारा 17 एवं गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के खंड 3 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान किया जाना चाहिये।

सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच मे पाया गया हैं कि कार्यालय के अंतर्गत आने वाली 04 चीनी मिलों द्वारा दिनांक-27.08.2018 तक किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान का `36905.85 लाख धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष था जो की करीब 42% अवशेष हैं। चीनी मिल द्वारा अंतिम भुगतान दिनांक-05.03.2018 को किया हैं एवं करीब छः माह व्यतीत होने के पश्चात भी कोई भुगतान नही किया गया।

इस संबंध मे लेखा परीक्षा दल को अवगत कराये कि चीनी मिल मेनेजमेंट को पत्राचार एवं नोटिस दिये जा रहे हैं एवं मुख्यालय से भी पत्राचार किया जा रहा हैं।

अतः चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान का `36905.85 लाख अवशेष रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-2 (ब)

प्रस्तरः- 3 : गलत वेतन निर्धारण के कारण ` 2.44 लाख रूपये के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान।

कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार के अभिलेखों/सेवा-पुस्तिकाओं की नमूना जांच (08/2018) में पाया गया कि श्री पुष्पेंद्र शर्मा/प्रशासनिक अधिकारी का दिनांक 01.01.2013 को ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर, श्री खूब चंद/प्रशासनिक अधिकारी का दिनांक 28.12.2015 को पदोउन्नति प्राप्त होने पर एवं श्रीमति बेबी रानी/प्रवर सहायक का दिनांक 17.10.2016 को एसीपी प्राप्त होने पर वेतन निर्धारण किया गया, जो लेखापरीक्षा जांच में गलत पाया गया। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है-

<u>श्री पुष्पेंद्र शर्मा/ प्रशासनिक अधिकारी:</u> इनका दिनांक 31.12.2012 को मूलवेतन + ग्रेड वेतन 16820 (12620+4200) था। दिनांक 01.01.2013 से इनका ग्रेड वेतन 4200 से 4600 में उच्चीकृत किया जाना था तथा 01.01.2013 को ही एक समयमान वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जानी थी। इस क्रम में एक समयमान वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ग्रेड वेतन उच्चीकृत कर दिनांक 01.01.2013 को कार्यालय द्वारा इनका मूलवेतन+ग्रेड वेतन 18460 (13860+4600) निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा जांच में उपरोक्त वेतन निर्धारण गलत पाया गया। लेखापरीक्षा के द्वारा गणना करने पर दिनांक 01.01.2013 से दिया जाने वाला मूलवेतन+ग्रेड वेतन (समयमान वार्षिक वेतन वृद्धि एवं उच्चीकरण के बाद) 17730 (13130+4600) पाया गया।

(लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना- *31.12.2012 को मूलवेतन=12620, जीपी=4200, 01.01.2013 को एक वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद मूलवेतन=13130 एवं उच्चीकरण के बाद जीपी= 4600, 01.01.2013 को मूलवेतन+जीपी का कुल योग=17730)*

उक्त क्रम में इन्हे कार्यालय द्वारा इनको 01.01.2013 से 18460 (13860+4600), 01.01.2014 से 19020 (14420+4600), 01.01.2015 से 19600 (15000+4600), 01.01.2016 से 52000 (7वे वेतनमान में) 01.01.2017 से 53600 एवं 01.01.2018 से 55200 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार 01.01.2013 से 17730 (13130+4600), 01.01.2014 से 18270 (13670+4600), 01.01.2015 से 18820 (14220+4600), 01.01.2016 से 50500 (**18820*2.57= 48367, next higher 49000, 7वे वेतनमान में + एक Due वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद 50500)**,

01.01.2017 से 52000 एवं 01.01.2018 से 53600 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री पुष्पेंद्र शर्मा को 01.01.2013 से 31.07.2018 तक **104960/- राशि** का अधिक भुगतान किया जा चुका है। (अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना की प्रति संलग्न है)

<u>श्री खूब चंद/ प्रशासनिक अधिकारी:</u> इनका दिनांक 01.01.2015 से 27.12.2015 तक मूलवेतन + ग्रेड वेतन 15640 (11440+4200) था। इनको दिनांक 28.12.2015 से ग्रेड वेतन 4600 में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोउन्नति दी गयी। इस पदोउन्नति के बाद कार्यालय द्वारा दिनांक 28.12.2015 को इनका मूलवेतन + ग्रेड 18460 (13860+4600) निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा जांच में उक्त वेतन निर्धारण गलत पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर दिनांक 28.12.2015 से दिया जाने वाला मूलवेतन + ग्रेड वेतन 17140 (12540+4600) पाया गया।

(लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना- *27.12.2015 को मूलवेतन=11440, जीपी=4200, 28.12.2015 को पदोउन्नति पर एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात मूलवेतन=11790 एवं जीपी= 4600, किन्तु 4600 ग्रेड वेतन का Entry Pay 12540 होने के कारण 01.01.2013 को दिया जाने वाला मूलवेतन= 12540 एवं जीपी= 4600, कुल योग=17140)*

उक्त क्रम में कार्यालय द्वारा इनको 28.12.2015 से 18460 (13860+4600), 01.01.2016 से 47600 (7वे वेतनमान में), 01.07.2016 से 49000, 01.07.2017 से 50500 एवं 01.07.2018 से 52000 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार 28.12.2015 से 17140 (12540+4600), 01.01.2016 से 44900 **(17140*2.57=44050 next higher 44900, 7वे वेतनमान में**), 01.07.2016 से 46200, 01.07.2017 से 47600 एवं 01.07.2018 से 49000 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री खूब चंद को 28.12.2015 से 31.07.2018 तक **90906/- राशि का** अधिक भुगतान किया जा चुका है। (अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना की प्रति संलग्न है)

<u>श्रीमति बेबी रानी/ प्रशासनिक अधिकारी:</u>

दिनांक 01.01.2016 से 16.10.2016 तक इनका मूलवेतन 32900 था (7वे वेतन मान में लेवेल 5 में)। दिनांक 17.10.2016 को इन्हे एसीपी स्वीकृत किया गया (लेवेल-6)। जिसके पश्चात कार्यालय द्वारा दिनांक 17.10.2016 से इनका वेतन निर्धारण किया गया। इस वेतन निर्धारण में कार्यालय द्वारा 17.10.2016 को इनका वेतन 37600 निर्धारित किया गया। जो लेखापरीक्षा द्वारा जांच में गलत पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा गणना करने पर दिनांक 17.10.2016 को इनको दिया जाने वाला मूलवेतन 35400 पाया गया (उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम 13 (ii) के अनुसार)।

*(**लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना-** 16.10.2016 को मूलवेतन=32900, 17.10.2016 को एसीपी पर एक वेतन वृद्धि देने के पश्चात मूलवेतन=33900 किन्तु एसीपी पर लेवेल बदलने पर (लेवेल-5 से 6) Next लेवेल का Entry Pay 35400 होने के कारण 17.10.2016 को दिया जाने वाला मूलवेतन= 35400)*

उक्त क्रम में इनको कार्यालय द्वारा 17.10.2016 से 32900, 01.01.2017 से 31.05.2017 तक 33900, जून-2017 में 37600, 01.07.2017 से 38700 एवं 01.07.2018 से 39900 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया गया। जबकि लेखापरीक्षा के अनुसार 17.10.2016 से 35400, 01.01.2017 से 30.06.2017 तक 35400, 01.07.2017 से 36500, 01.07.2018 से 37600 के मूलवेतन के अनुसार वेतन एवं भत्तो का भुगतान किया जाना था।

इनको एसीपी की दिनांक से अक्टूबर, नबम्बर एवं दिसम्बर-2016 माह के बकाया का दो बार भुगतान किया गया। पहली बार `**9924/-** का Manually गणना कर भुगतान किया गया। दूसरी बार Treasury द्वारा वर्ष 2016 के बकाया की गणना (6वे वेतनमान एवं 7वे वेतनमान में प्राप्त वेतन का अंतर) के बाद किया गया।

इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्रीमति बेबी रानी को 17.10.2016 से 31.07.2018 तक `**48283/- राशि का** (*इसमे दो बार भुगतान की गयी राशि में से पहले वाली राशि `9924/- शामिल है*) अधिक भुगतान किया जा चुका है। (अधिक भुगतान की गयी राशि के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना की प्रति संलग्न है)

इस प्रकार उपरोक्त तीनों कार्मिको को कुल राशि `244149/- के वेतन एवं भत्तो का अधिक भुगतान किया जा चुका है।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड ने अपने उत्तर मे बताया कि नियमानुसार कार्यवाही कर ली जाएगी तथा संशोधन आदेश पारित कर दिये गए हैं एवं वसूली के आदेश निर्गत किए जा रहे हैं।

खंड का उत्तर से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा के द्वारा उठाई गयी आपप्ति सही है। अत: गलत वेतन निर्धारण के कारण `244149/- **(दो लाख चवालीस हजार एक सौ उनचास)** के अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तो का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संगयान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:4 गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त होने वाली `5220.87 लाख की धनराशि चीनी मिलों एवं शासन के स्तर पर लम्बित रहना एवं जिसके परिणाम स्वरूप विकास एवं अन्य कार्य लम्बित रहना।

उत्तर प्रदेश के UP Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act 1954 को उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य के पुनर्गठन के बाद राज्य मे लागू किया गया।

उक्त एक्ट के पैरा 49 के अनुसार गन्ने को खरीदने वाली फ़ैक्टरी से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य की धनराशि का 3% कमीशन सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिया जाने का प्रविधान किया गया। जिसका 75% सहकारी गन्ना विकास समितियों को एवं 25% गन्ना विकास परिषदों को दिया जाना हैं।

फ़ैक्टरी द्वारा उक्त 3% दिये गए कमीशन से ही सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों अपने कर्मचारियो/अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं क्षेत्र के विकास के कार्य किए जाने थे।

एक्ट के अनुसार सहकारी गन्ना विकास समितियों के मुख्य निम्न कार्य हैं।

1. गन्ने की उपज मे वृद्धि हेतु केंद्र/ राज्य सरकार एवं उच्च स्तर से बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन कराना।
2. सदस्यों के गन्ने की उपज का लाभ जनक मूल्य पर क्रय/विक्रय कराना तथा शीघ्र चीनी मिल को पूर्ति कराने का प्रबंध करना एवं उसका मूल्य भुगतान सुनिश्चित करना।
3. गन्ने के उत्तम बीज, खाद तथा उर्वरक, कीटनाशक रसायन कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों को सदस्यों को ऋण मे उपलब्ध कराना।
4. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूंजी का प्रबंधन करना।

इसी प्रकार गन्ना विकास परिषदों के मुख्य निम्न कार्य हैं-

1. गन्ना परिषद क्षेत्र के गन्ना विकास कार्यक्रम तय करना।
2. गन्ना बीज, प्रजाति, गन्ना बुवाई कार्यक्रम, खाद, उर्वरक एवं कृषि निवेशों का प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. सिंचाई एवं कृषि सुविधाओं को सुनिश्चित कराना।
4. राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

पेराई सत्र 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 मे चीनी मिलों को गन्ना विकास कमीशन के भुगतान मे छूट प्रदान करते हुए सहकारी गन्ना विकास समितियों के कार्यकलापों हेतु धनराशि शासन स्तर से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन स्तर से उक्त तीन वर्षों मे वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक `1445.91 लाख धनराशि शासन द्वारा अभी तक भुगतान नही की गयी है। उक्त तीन वर्षों के अलावा वर्ष 2012-13, 2016-17 एवं 2017-18 मे चीनी मिलों द्वारा गन्ना विकास समितियों एवं परिषदों को प्रदान किए जाने वाले 3% कमीशन के विरुद्ध `3774.96 लाख का गन्ना विकास कमीशन वर्तमान मे अवशेष हैं।

इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त होने वाली कुल धनराशि `5220.87 लाख शासन स्तर एवं चीनी मिलों के स्तर पर लंबित हैं।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखंड, काशीपुर को अवगत किया जा चुका हैं तथा चीनी मिलों की R-C जारी करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को कार्यवाही हेतु पत्रावली अग्रसरित हैं।गन्ना विकास कमीशन न प्राप्त होने से कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से प्राप्त नही हो रहे हैं एवं विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं।

अत: गन्ना विकास कमीशन के रूप मे सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त होने वाली `5220.87 लाख की धनराशि चीनी मिलों एवं शासन के स्तर पर लम्बित रहने एवं जिसके परिणाम स्वरूप विकास एवं अन्य कार्य लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग– III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1.	63/2013-14	----	1, 2	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी।

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

——— शून्य ———

भाग–V

आभार

1.कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये :

(i)विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या

(ii) श्री सूरजभान सिंह, श्रीमती सुषमा **बा**लियान एवं श्रीमती शशिदेवी की सेवा–पुस्तिकायें।

2. सतत् अनियमितताएं :

(i)**शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(1)	श्री ए0के0 जौहरी	सहायक गन्ना आयुक्त
(2)	श्री अशोक कुमार	सहायक गन्ना आयुक्त
(3)	श्री रामबदल वर्मा	सहायक गन्ना आयुक्त
(4)	श्री आशीष नेगी	सहायक गन्ना आयुक्त
(5)	श्री शैलेन्द्र सिंह	सहायक गन्ना आयुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र -2